RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Phone: +91-0744-2473014, 2473106, 2473063, 2473861

क्रमांक :– एफ.(27)/राततविको/परीक्षा/2021/4967 दिनांक 16/8/2021

समस्त प्राचार्य/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

विषय :– सेमेस्टर गेप व वर्ष गेप वाले छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

विगत् कुछ समय से विश्वविद्यालय के ध्यान में आया है कि महाविद्यालयो द्वारा सेमेस्टर गेप व वर्ष गेप के ड्रोप आऊट छात्रो को वर्चुअल स्टेपअप मानते हुए बिना विश्वविद्यालय की सक्षम अनुमति व पुनः प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किये बिना अपने स्तर पर ही आगामी सेमेस्टरों में मैन व बैक परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे है। जिस कारण विश्वविद्यालय विनियमों का उल्लंघन हो रहा है व भविष्य में छात्रों को अपनी अंकतालिकाओं के वर्षों में भिन्नता होने के कारण नौकरीयों में अपात्रता की स्थिति का भी सामना करना पड रहा है।

विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अपने पत्रों व विनियमों के माध्यम से आप सभी को सूचित कर रखा है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जावें व महाविद्यालय स्तर पर पूर्ण जॉच कर संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा हेतु पात्र छात्रों के परीक्षा फॉर्म ही विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जावें। किसी भी स्तर पर अपात्र छात्र का परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय स्तर पर भरा जाना व परीक्षा में बैठा होना पाये जाने पर भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्त परिस्थितयों विधिक सहित का संबंधित महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।

अतः समस्त संबंधित को पुनः सूचित किया जाता है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय विश्वविद्यालय परीक्षा विनियम R-22- Drop out Students की पालना सुनिश्चित करें। उदाहरण के तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी किसी भी मुख्य सेमेस्टर कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति पात्रता पूर्ण नही करता है और महाविद्यालय में आगामी सेमेस्टर में प्रवेश व उपस्थिति की प्रक्रिया पूर्ण नही करता है, तो उसे आगामी सेमेस्टर में Virtual Step up नही मानते हुए उसी सेमेस्टर में आगामी वर्ष में उपस्थित होने पर पुनः प्रवेश (Re-admission) प्रक्रिया विश्वविद्यालय विनियम R-22 की पालना करते हुए पूर्ण करनी होगी व छात्र उसी सेमेस्टर से आगामी पढ़ाई पूरी कर सकेगा।

वर्तमान में यदि किसी भी महाविद्यालय द्वारा उक्त विनियम का उल्लंघन करते हुये परीक्षा फॉर्म भरा है तो वो ऐसे फॉर्मो की जॉच स्वयं के स्तर पर करते हुये नियमानुसार पुनः प्रवेश, यदि विनियम अनुसार अनुमत हो, यदि नही तो परीक्षा फॉर्म निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करावें। बाद में किसी भी स्तर पर यदि उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन पाया गया, तो इस संबंध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

कृपया अपने समस्त संबंधित स्टॉफ को अपने स्तर से उक्त की पालना हेतु निर्देशित करावें व भविष्य में भी नियमानुसार कार्यवाही हेतु पाबंद करें।

धन्यवाद।

संलग्न : परीक्षा विनियम R-22 की प्रति

भवदीय

(प्रो. धीरेन्द्र माथुर)
परीक्षा नियंत्रक

RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Phone: +91-0744-2473014, 2473106, 2473063, 2473861

University Examination

Regulation

R-22 Drop out Student

(i) Drop out students (on medical ground), if appeared in previous semester examination, shall be permitted to take admission in next semester on production of medical certificate issued by a competent government authority.

(ii) Drop out students due to any other reason without intimation to college/university, if appeared in previous semester examination, shall have to apply for admission to university. Such cases shall be decided by the university on the case to case basis depending upon the genuineness of the case.

(iii) If a candidate due to some or other reason fails to appear in the University examinations of any semester/academic year, he shall be eligible to take admission in the next academic year. However he has to complete the course as per the limit of course duration as per university norms.

Controller of Examination
Rajasthan Technical University
KOTA-324010